कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम संख्यांक 8)

[17 मार्च, 2006]

कंपनी सचिव अधिनियम, 1980
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2006 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है।

1980 का 56　　धारा 2 का संशोधन।

2. कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(कक) ''प्राधिकरण'' से धारा 22क में निर्दिष्ट अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ककक) ''बोर्ड'' से धारा 29क के अधीन गठित क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड अभिप्रेत है;';

(ii) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(छक) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;';

(iii) खंड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(ञक) ''विनिर्दिष्ट'' से इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है;

(ञख) ''अधिकरण'' से धारा 10ख की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अधिकरण अभिप्रेत है;'।

धारा 4 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(3) उपधारा (1) के खंड (ग), खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) में वर्णित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति विहित रीति से आवेदन किए जाने पर और उसके अनुज्ञात होने और ऐसी फीसों के संदाय पर जो परिषद् द्वारा, अधिसूचना द्वारा, अवधारित की जाएं, जो तीन हजार रुपए से अधिक की नहीं होगी, रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट करवाएगा:

परंतु परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, तीन हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में छह हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।''।

धारा 5 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो सहयुक्त है और जो कंपनी सचिव के रूप में भारत में कम से कम पांच वर्ष तक लगातार व्यवसाय करता रहा है और ऐसा कोई व्यक्ति जो कम से कम पांच वर्ष की अवधि तक लगातार सहयुक्त रहा है और जिसके पास ऐसी अर्हताएं या व्यवहारिक अनुभव है जो परिषद् यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से विहित करे कि उसके पास कंपनी सचिव के रूप में पांच वर्ष की अवधि तक के लगातार व्यवसाय करने के परिणामस्वरूप सामान्यत: अर्जित अनुभव के समतुल्य अनुभव है, ऐसी फीसों के संदाय पर जो परिषद् द्वारा अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाएं, जो पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी और विहित रीति से आवेदन किए जाने पर और उसके अनुज्ञात होने पर रजिस्टर में अध्येता के रूप में प्रविष्ट किया जाएगा:

परंतु परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से पांच हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में, इस बात के होते हुए भी कि उस कालावधि में उसने वास्तविक रूप में व्यवसाय नहीं किया है, यह समझा जाएगा कि उसने ऐसी अवधि तक भारत में वह व्यवसाय किया है जिसके लिए उसके पास धारा 6 के अधीन व्यवसाय-प्रमाणपत्र है।

स्पष्टीकरण 2—उस लगातार कालावधि की, जिसके दौरान कोई व्यक्ति संस्थान का सहयुक्त रहा है, संगणना करने में ऐसी लगातार कालावधि सम्मिलित की जाएगी, जिसके दौरान वह व्यक्ति संस्थान का सहयुक्त होने के ठीक पूर्व विघटित कंपनी का सहयुक्त रहा है।''।

धारा 6 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(i) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(2) ऐसा कोई सदस्य जो व्यवसाय करने के लिए हकदार होना चाहता है अपने प्रमाणपत्र के लिए ऐसे प्ररूप में आवेदन करेगा और ऐसी वार्षिक फीस का संदाय करेगा जो परिषद् द्वारा, अधिसूचना द्वारा, अवधारित की जाए और जो तीन हजार रुपए से अधिक नहीं होगी और ऐसी फीस प्रत्येक वर्ष में 1 अप्रैल को या उससे पूर्व देय होगी:

परंतु परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, तीन हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में छह हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।'';

(ii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(3) उपधारा (1) के अधीन अभिप्राप्त किया गया व्यवसाय-प्रमाणपत्र परिषद् द्वारा ऐसी परिस्थितियों में, जो विहित की जाएं, रद्द किया जा सकेगा।''।

धारा 9 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(i) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

''(2) परिषद् का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर होगा, अर्थात्:—

(क) अधिक से अधिक पंद्रह ऐसे व्यक्ति जिनका निर्वाचन संस्थान के सदस्य संस्थान के उन अध्येताओं में से करेंगे, जो ऐसी रीति से और ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से चुने गए हैं जो विनिर्दिष्ट की जाएं:

परंतु संस्थान का कोई अध्येता जो किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी पाया गया है और जिसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है या उस पर जुर्माने की शास्ति अधिरोपित की गई है, यथास्थिति, रजिस्टर से नाम हटाने की अवधि की समाप्ति से या जुर्माने के संदाय से,—

(i) इस अधिनियम की पहली अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले अवचार की दशा में तीन वर्ष की अवधि तक,

(ii) इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले अवचार की दशा में, छह वर्ष की अवधि तक,

निर्वाचन लड़ने का पात्र नहीं होगा;

(ख) अधिक से अधिक पांच ऐसे व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से नामनिर्देशित किए जाएंगे।';

(ii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(3) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन परिषद् के निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जो संस्थान का लेखापरीक्षक रहा है, उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन परिषद् के निर्वाचन के लिए उसके लेखापरीक्षक न रहने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि तक पात्र नहीं होगा।''।

धारा 10 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

परिषद् के लिए पुनः निर्वाचन या पुनः नामनिर्देशन।

''10. धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचित या नामनिर्देशित परिषद् का कोई सदस्य, यथास्थिति, पुन:निर्वाचन या पुन:नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा:

परंतु कोई भी सदस्य दो आनुक्रमिक अवधियों से अधिक अवधि के लिए पद धारण नहीं करेगा:

परंतु यह और कि परिषद् का ऐसा कोई सदस्य, जो धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाता है या किया गया है, परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचन या नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा।''।

8. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— नई धारा 10क और धारा 10ख का अंत: स्थापन।

''10क. धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन किसी निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद की दशा में, व्यथित व्यक्ति संस्थान के सचिव को निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से तीस दिन के भीतर आवेदन कर सकेगा, जो उस आवेदन को केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा। निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा।

10ख. (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 10क के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, ऐसे विवाद का विनिश्चय करने के लिए अधिकरण की स्थापना अधिसूचना द्वारा, करेगी जिसका गठन एक पीठासीन अधिकारी और दो अन्य सदस्यों से मिलकर होगा और ऐसे अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा। अधिकरण की स्थापना।

(2) कोई व्यक्ति,—

(क) अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारतीय विधिक सेवा का सदस्य रहा है और उसने उस सेवा की श्रेणी 1 में पद कम से कम तीन वर्ष तक धारण किया है;

(ख) सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह परिषद् का कम से कम एक पूरी कालावधि के लिए सदस्य रहा है और जो परिषद् का आसीन सदस्य नहीं है या जो विवादाधीन निर्वाचन में अभ्यर्थी नहीं रहा है; या

(ग) सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत सरकार के संयुक्त सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसा कोई अन्य पद धारण कर रहा है जिसका वेतनमान भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतनमान से कम नहीं है।

(3) अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें, उनके अधिवेशनों के स्थान, और भत्ते वे होंगे, जो विहित किए जाएं।

(4) अधिकरण के व्यय परिषद् द्वारा वहन किए जाएंगे।''।

9. मूल अधिनियम की धारा 12 में,— धारा 12 का संशोधन।

(i) उपधारा (2) में ''मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी'' शब्दों के स्थान पर ''प्रधान'' शब्द रखा जाएगा;

(ii) उपधारा (3) में ''वह पुन: निर्वाचन का पात्र होगा'' शब्दों के पहले ''उपधारा (1) के अधीन'' शब्द, कोष्ठक और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iii) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी—

''(4) परिषद् की अवधि या उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदावधि के अवसान पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तब तक अपने पद धारण करते रहेंगे जब तक नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो जाता है और वे अपने कर्तव्य भार ग्रहण नहीं कर लेते हैं।''।

10. मूल अधिनियम की धारा 13 में,— धारा 13 का संशोधन।

(i) उपधारा (2) में ''अधिवेशनों में अनुपस्थित रहा है,'' शब्दों के पश्चात् ''या वह किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी पाया गया है और उस पर जुर्माने की शास्ति अधिरोपित की गई है,'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) के परंतुक में, ''छह मास'' शब्दों के स्थान पर ''एक वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 14 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) में, ''तीन वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''चार वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 15 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

12. मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

परिषद् के कृत्य।

''15. (1) संस्थान परिषद् के संपूर्ण नियंत्रण, मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन कृत्य करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने का कर्तव्य परिषद् में निहित होगा।

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् के कर्तव्यों में निम्नलिखित बातें होंगी—

(क) शैक्षणिक पाठ्यक्रमों और उनकी अंतर्वस्तुओं का अनुमोदन करना;

(ख) परीक्षा के लिए नामावली में नाम प्रविष्ट करने के लिए अभ्यर्थियों की फीस विहित करना;

(ग) रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए अर्हताएं विहित करना;

(घ) नामावली में नाम प्रविष्ट किए जाने के प्रयोजन के लिए विदेशी अर्हताओं और प्रशिक्षण को मान्यता देना;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र देने या देने से इंकार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त विहित करना;

(च) सदस्यों, परीक्षार्थियों और अन्य व्यक्तियों की फीस उद्गृहीत करना;

(छ) संस्थान के सदस्यों की वृत्तिक अर्हताओं की प्रतिष्ठा और स्तर को विनियमित करना और बनाए रखना;

(ज) परिषद् के सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देकर या किसी अन्य रीति से कम्पनी सचिव की अभिरुचि से सम्बन्धित ऐसे विषयों में, जो विहित किए जाएं अनुसंधान करना;

(झ) निदेशक (अनुशासन), अनुशासन बोर्ड, अनुशासनिक समिति और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित अपील प्राधिकरण के कृत्यों को समर्थ बनाना;

(ञ) क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड के कार्यकरण को समर्थ बनाना;

(ट) धारा 29ख के खंड (क) के अधीन की गई क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करना और उनको वार्षिक रिपोर्ट में की गई कार्रवाई का ब्यौरा देना; और

(ठ) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और समय-समय पर संस्थान को सौंपे गए अन्य कानूनी कर्तव्यों के अनुपालन में संस्थान के कार्यकरण को सुनिश्चित करना।''।

नई धारा 15क और धारा 15ख का अंत:स्थापन।

13. मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

संस्थान के कृत्य।

''15क. संस्थान के कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

(क) नामावली में नाम प्रविष्ट करने के लिए अभ्यर्थियों की परीक्षा;

(ख) छात्रों के प्रशिक्षण का विनियमन;

(ग) कंपनी सचिव के रूप में व्यवसाय करने के लिए अर्हित व्यक्तियों के रजिस्टर का अनुरक्षण और उसका प्रकाशन;

(घ) सदस्यों, परीक्षार्थियों और अन्य व्यक्तियों से फीस का संग्रहण;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन समुचित प्राधिकारी के आदेशों के अधीन रहते हुए, रजिस्टर से नामों को हटाया जाना और रजिस्टर में ऐसे नामों का प्रत्यावर्तन जिनको हटा दिया गया है;

(च) पुस्तकालय का अनुरक्षण और कंपनियों से संबंधित पुस्तकों और पत्रिकाओं का तथा उनसे सहबद्ध विषयों का प्रकाशन;

(छ) संस्थान की परिषद् का निर्वाचन करना; और

(ज) परिषद् द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार व्यवसाय प्रमाणपत्र अनुदत्त करना या अनुदत्त करने से इंकार करना।

विश्वविद्यालयों और अन्य निकायों द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाना।

15ख. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय या संस्थान से सहबद्ध कोई निकाय संस्थान के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले विषयों पर शिक्षा प्रदान कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय या निकाय, डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करते समय या कोई पदनाम देते समय, यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रमाणपत्र या पदनाम संस्थान द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र या पदनाम के सदृश न हों या उसके समरूप न हों।

(3) इस धारा की कोई बात किसी विश्वविद्यालय या निकाय को ऐसा नाम या नामपद्धति अंगीकार करने के लिए समर्थ नहीं बनाएगी जो संस्थान के नाम या नामपद्धति के किसी रूप में समरूप है।''।

धारा 16 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

14. मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

अधिकारी, कर्मचारी, वेतन, भत्ते आदि।

''16. (1) परिषद्, अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए,—

(क) परिषद् का एक सचिव ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो विहित किए जाएं, नियुक्त करेगी;

(ख) एक निदेशक (अनुशासन) ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करेगी जो उसे इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन समनुदेशित किए जाएं;

(ग) परिषद् के या संस्थान के एक अधिकारी को संस्थान के प्रशासनिक कृत्यों को करने के लिए अपने मुख्य कार्यपालक के रूप में पदाभिहित करेगी।

(2) परिषद्—

(क) परिषद् और संस्थान में ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे;

(ख) परिषद् और संस्थान के सचिव से या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी से अपने कर्तव्यों के सम्यक् पालन के लिए ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा कर सकेगी और ले सकेगी जिसे परिषद् आवश्यक समझे;

(ग) परिषद् और संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, फीस, भत्ते और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें विहित कर सकेगी;

(घ) केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों तथा समितियों के सदस्यों के भत्ते भी तय कर सकेगी;

(3) परिषद् का सचिव परिषद् के अधिवेशनों में भाग लेने का हकदार होगा किन्तु उनमें मत देने का हकदार नहीं होगा।''।

धारा 17 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 17 में,—

(क) उपधारा (1) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(ख) वित्त समिति; और;'';

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(3) प्रत्येक स्थायी समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदेन और परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किए जाने वाले कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच सदस्यों से मिलकर बनेगी।'';

(ग) उपधारा (4) और उपधारा (5) का लोप किया जाएगा;

(घ) उपधारा (6) में ''समिति की कुल सदस्यता के दो तिहाई'' शब्दों के स्थान पर ''समिति की कुल सदस्यता के एक तिहाई'' शब्द रखे जाएंगे।''।

धारा 18 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 18 में,—

(i) उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

''(3) परिषद् पूंजी को राजस्व से सुभिन्न करते हुए निधि के उचित लेखा विहित रीति में रखेगी।

(4) परिषद्, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व एक वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) विहित रीति में तैयार करेगी और उसका अनुमोदन करेगी जिसमें आगामी वर्ष के लिए उसके प्रत्याशित सभी राजस्व तथा सभी प्रस्तावित व्ययों को उपदर्शित किया जाएगा।

(5) परिषद् के वार्षिक लेखे ऐसी रीति में तैयार किए जाएंगे जो विहित की जाएं और वे परिषद् द्वारा हर वर्ष नियुक्त किए जाने वाले व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे:

परंतु परिषद् का कोई सदस्य या ऐसा कोई व्यक्ति जो पिछले चार वर्ष के दौरान परिषद् का सदस्य रहा है या ऐसा व्यक्ति जो ऐसे सदस्य के साथ भागीदारी में है, इस उपधारा के अधीन लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यह और कि यदि परिषद् की जानकारी में यह लाया जाता है कि परिषद् के लेखे परिषद् की वित्तीय स्थिति का सही और उचित चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो परिषद् स्वयं विशेष लेखा संपरीक्षा करा सकेगी:

परन्तु यह भी कि यदि, ऐसी जानकारी कि परिषद् के लेखे इसकी वित्तीय स्थिति का सही और उचित चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् को भेजी जाती है तो परिषद्, जहां भी उपयुक्त हो, उसकी विशेष संपरीक्षा करा सकेगी या ऐसे अन्य कार्य करेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे और केन्द्रीय सरकार को इस पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।'';

(ii) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(5क) परिषद्, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्यशीघ्र अपने सदस्यों को कम से कम पंद्रह दिन पहले संपरीक्षित लेखाओं को परिचालित करेगी और इस प्रयोजन के लिए बुलाए गए विशेष अधिवेशन में इन लेखाओं पर विचार करेगी और उनका अनुमोदन करेगी।

(5ख) परिषद् आगामी वर्ष के सितम्बर की 30 तारीख के अपश्चात् भारत के राजपत्र में संपरीक्षित लेखाओं और परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित उस वर्ष की परिषद् की रिपोर्ट की प्रति प्रकाशित कराएगी और उक्त लेखाओं और रिपोर्ट की प्रतियां केंद्रीय सरकार और संस्थान के सभी सदस्यों को भेजी जाएंगी।''।

17. मूल अधिनियम की धारा 19 में,— धारा 19 का संशोधन।

(i) उपधारा (3) में, ''ऐसी सूची की प्रति उसको भेजेगी'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसी सूची की प्रति उसको ऐसी रकम के संदाय पर, जो विहित की जाए, भेजेगी'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(4) संस्थान का प्रत्येक सदस्य, रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट किए जाने के पश्चात् ऐसी वार्षिक सदस्यता फीस का संदाय करेगा जो परिषद् द्वारा, अधिसूचना द्वारा, अवधारित की जाए और जो पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी:

परन्तु परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, पांच हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।''।

18. मूल अधिनियम की धारा 20 में उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 20 का संशोधन।

''(3) यदि किसी सदस्य का नाम उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन रजिस्टर से हटा दिया गया है तो आवेदन प्राप्त किए जाने पर उसका नाम बकाया वार्षिक फीस और प्रवेश फीस तथा ऐसी अतिरिक्त फीस जो परिषद् द्वारा अधिसूचना द्वारा, अवधारित की जाए जो दो हजार रुपए से अधिक नहीं होगी का संदाय करने पर रजिस्टर में पुन: प्रविष्ट किया जा सकेगा:

परन्तु परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, दो हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में चार हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।''।

19. मूल अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 21 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

''21. (1) परिषद् उसे प्राप्त किसी इत्तिला या परिवाद के संबंध में अन्वेषण करने के लिए एक अनुशासन निदेशालय की स्थापना अधिसूचना द्वारा करेगी जिसका प्रमुख निदेशक (अनुशासन) के रूप मे पदाभिहित संस्थान का कोई अधिकारी और उसमें अन्य कर्मचारी होंगे। अनुशासन निदेशालय।

(2) निदेशक अनुशासन विहित फीस के साथ किसी इत्तिला या परिवाद के प्राप्त हो जाने पर अभिकथित अवचार के घटित होने के बारे में प्रथमदृष्ट्या राय पर पहुंचेगा।

(3) जहां निदेशक (अनुशासन) की यह राय है कि कोई सदस्य पहली अनुसूची में वर्णित किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है वहां वह अनुशासन बोर्ड के समक्ष मामले को रखेगा और जहां निदेशक (अनुशासन) की यह राय है कि कोई सदस्य दूसरी अनुसूची या दोनों अनुसूचियों में वर्णित किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है वहां वह अनुशासन समिति के समक्ष मामले को रखेगा।

(4) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्वेषण करने के लिए अनुशासन निदेशालय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विनिर्दिष्ट की जाए।

(5) जहां परिवादी परिवाद को वापस लेता है वहां निदेशक (अनुशासन), ऐसी वापसी यथास्थिति, अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति के समक्ष ऐसे वापस लिए जाने को रखेगा, और उक्त बोर्ड या समिति यदि उसका यह मत है कि परिस्थितियों में ऐसा अपेक्षित है तो किसी प्रक्रम पर वापस लेने को अनुज्ञात कर सकेगी।''।

20. मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— नई धारा 21क, धारा 21ख, धारा 21ग और धारा 21घ का अंत: स्थापन।

'21क. (1) परिषद् अनुशासन बोर्ड का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे,— अनुशासन बोर्ड।

(क) विधि में अनुभव रखने वाला ऐसा व्यक्ति जिसके पास अनुशासनिक विषयों और वृत्ति का ज्ञान हो, जो उसका पीठासीन अधिकारी होगा;

(ख) दो ऐसे सदस्य जिनमें से एक परिषद् द्वारा निर्वाचित परिषद् का सदस्य होगा और दूसरा सदस्य धारा 16 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन पदाभिहित व्यक्ति होगा;

(ग) निदेशक (अनुशासन) बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(2) अनुशासन बोर्ड अपने समक्ष सभी मामलों पर विचार करते समय संक्षिप्त निपटान प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(3) जहां अनुशासन बोर्ड की यह राय है कि कोई सदस्य पहली अनुसूची में वर्णित वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है वहां वह उसके विरुद्ध कोई आदेश करने से पूर्व उस सदस्य को सुनवाई का अवसर देगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित कोई एक या अधिक कार्यवाही करेगा, अर्थात्:—

(क) सदस्य को धिग्दण्ड देना;

(ख) सदस्य के नाम को रजिस्टर से तीन मास की अवधि तक के लिए हटाना;

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करना जिसे वह ठीक समझे और जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा।

(4) निदेशक (अनुशासन), जहां उसकी यह राय है कि कोई प्रथमदृष्ट्या मामला नहीं है वहां अनुशासन बोर्ड के समक्ष सभी इत्तिला और परिवाद रखेगा और यदि अनुशासन बोर्ड निदेशक (अनुशासन) की राय से सहमत हो तो वह मामले को बंद कर सकेगा या असहमति की दशा में, निदेशक (अनुशासन) को मामले में और अन्वेषण करने की सलाह दे सकेगा।

अनुशासन समिति।

21ख. (1) परिषद् एक अनुशासन समिति का गठन करेगी जो पीठासीन अधिकारी के रूप में परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और परिषद् के सदस्यों में से निर्वाचित किए जाने वाले दो सदस्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा विधि, अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त या लेखाकर्म के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले विख्यात व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो सदस्यों से मिलकर बनेगी:

परन्तु परिषद्, जब भी वह आवश्यक समझे, अधिक अनुशासन समितियों का गठन कर सकेगी।

(2) अनुशासन समिति, इसके समक्ष रखे गए मामलों पर विचार करते समय, ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) जहां अनुशासन समिति की यह राय है कि कोई सदस्य दूसरी अनुसूची या पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची दोनों में वर्णित वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है वहां वह उसके विरुद्ध कोई आदेश करने से पूर्व उस सदस्य को सुनवाई का अवसर देगी और उसके पश्चात् निम्नलिखित कोई एक या अधिक कार्यवाही कर सकेगी, अर्थात्:—

(क) सदस्य को धिग्दण्ड देना;

(ख) सदस्य के नाम को रजिस्टर से स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे, हटाना;

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करना जिसे वह ठीक समझे और जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्यों को संदेय भत्ते वे होंगे जो विनिर्दिष्ट किए जाएं।

प्राधिकरण, अनुशासन समिति, अनुशासन बोर्ड और निदेशक (अनुशासन) को सिविल न्यायालय की शक्तियों का होना।

21ग. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकरण, अनुशासन समिति, अनुशासन बोर्ड और निदेशक (अनुशासन) को निम्नलिखित विषयों की बाबत वे ही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:— 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज की खोज और उसका प्रस्तुतीकरण; और

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना।

स्पष्टीकरण—धारा 21, धारा 21क, धारा 21ख, धारा 21ग और धारा 22 के प्रयोजनों के लिए, ''संस्थान के सदस्य'' के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो अभिकथित अवचार की तारीख को संस्थान का सदस्य था भले ही वह जांच के समय संस्थान का सदस्य न रहा हो।

संक्रमणकालीन उपबंध।

21घ. कम्पनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारम्भ से पूर्व परिषद् के समक्ष लंबित सभी शिकायतें या अनुशासन समिति द्वारा आरंभ की गई कोई जांच या उच्च न्यायालय को किए गए किसी निर्देश या अपील का, इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा इस प्रकार शासित होना जारी रहेगा मानो यह अधिनियम, कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधित ही न किया गया हो।'।

धारा 22 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

21. मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

परिभाषित वृत्तिका या अन्य अवचार की परिभाषा।

''22. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ''वृत्तिक या अन्य अवचार'' पद के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत ऐसा कार्य या लोप भी आता है जो अनुसूचियों में की किसी अनुसूची में उपबन्धित है किन्तु इस धारा में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किन्हीं अन्य परिस्थितियों में संस्थान के किसी सदस्य के आचरण की जांच करने के लिए धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक (अनुशासन) को प्रदत्त किसी शक्ति या उसको अधिरोपित कर्तव्य को किसी प्रकार से सीमित या कम करती है।''।

नई धारा 22क, धारा 22ख, धारा 22ग, धारा 22घ और धारा 22ङ का अन्त:स्थापन।

22. मूल अधिनियम की धारा 22 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

अपील प्राधिकरण का गठन।

1949 का 38 '22क. चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22क की उपधारा (1) के अधीन गठित अपील प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, इस उपांतरण के अधीन रहते हुए, अपील प्राधिकरण समझा जाएगा कि उक्त उपधारा (1) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया गया है, अर्थात्:—

''(ख) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों में से, जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के कम से कम एक पूरी कालावधि के लिए सदस्य रहे हैं और जो परिषद् का आसीन सदस्य नहीं है, दो अंशकालिक सदस्य नियुक्त करेगी।''।

प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि।

22ख. सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति पद, उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि तक या उसके बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, धारण करेगा।

प्राधिकरण की प्रक्रिया आदि।

1949 का 38 22ग. चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22ग, धारा 22घ और धारा 22च के उपबंध प्राधिकरण को इसके अध्यक्ष और सदस्यों को भत्तों तथा उनकी सेवा के निबंधनों और शर्तों के संबंध में और इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में उसे लागू होते हैं।

प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद।

22घ. (1) परिषद्, प्राधिकरण को ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगी जो प्राधिकरण के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(2) प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

प्राधिकरण को अपील।

22ङ (1) धारा 21क की उपधारा (3) और धारा 21ख की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई शास्ति उस पर अधिरोपित करने वाले अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति के किसी आदेश से व्यथित संस्थान का कोई सदस्य उस तारीख से नब्बे दिन के भीतर, जिसको उसे आदेश, संसूचित किया जाता है, प्राधिकरण को अपील कर सकेगा:

परन्तु निदेशक (अनुशासन) भी यदि परिषद् द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, प्राधिकरण को अनुशासन बोर्ड या अनुशासनिक समिति के विनिश्चय के विरुद्ध नब्बे दिन के भीतर अपील कर सकेगा:

परन्तु यह और कि प्राधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि समय के भीतर अपील फाइल न कर पाने के पर्याप्त कारण थे, नब्बे दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी ऐसी कोई अपील ग्रहण कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण, किसी मामले के अभिलेख को मंगाने के पश्चात्, धारा 21क की उपधारा (3) और धारा 21ख की उपधारा (3) के अधीन अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति द्वारा किए गए किसी आदेश को पुनरीक्षित कर सकेगा, और—

(क) आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित या अपास्त कर सकेगा;

(ख) कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा या आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को अपास्त कर सकेगा, उसे कम कर सकेगा या उसमें वृद्धि कर सकेगा;

(ग) मामले को अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति को ऐसी और जांच किए जाने के लिए प्रतिप्रेषित कर सकेगा जिसे प्राधिकरण मामले की परिस्थितियों में उचित समझे; या

(घ) ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा जिसे प्राधिकरण ठीक समझे:

परन्तु प्राधिकरण, कोई आदेश पारित करने से पहले सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देगा।'।

धारा 25 का संशोधन।

23. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।

धारा 27 का संशोधन।

24. मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उसके विरुद्ध की जा सकेंगी, प्रथम दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।"।

नए अध्याय 7क का अंत:स्थापन।

25. मूल अधिनियम के अध्याय 7 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"अध्याय 7क

क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड

क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की स्थापना।

29क. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन करेगी जिसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे।

(2) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति ऐसे विख्यात व्यक्तियों में से की जाएगी, जो विधि, अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त या लेखाकर्म के क्षेत्र में अनुभव रखते हों।

(3) बोर्ड के दो सदस्य परिषद् द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे और अन्य दो सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे।

बोर्ड के कृत्य।

29ख. बोर्ड, निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—

(क) संस्थान के सदस्यों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की क्वालिटी के सम्बन्ध में परिषद् को सिफारिशें करना;

(ख) संस्थान के सदस्यों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की, जिनके अंतर्गत अनुसचिवीय सेवाएं भी हैं, क्वालिटी का पुनर्विलोकन करना; और

(ग) सेवाओं की क्वालिटी में सुधार करने और विभिन्न कानूनी और अन्य विनियामक अपेक्षाओं का पालन करने के लिए संस्थान के सदस्यों का मार्गदर्शन करना।

बोर्ड की प्रक्रिया।

29ग. बोर्ड ऐसे समयों और स्थानों पर अधिवेशन करेगा और अपने अधिवेशनों में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जाए।

बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उसका व्यय।

29घ. (1) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन पदावधि, और शर्तें, और उनके भत्ते वे होंगे जो विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) बोर्ड का व्यय परिषद् द्वारा वहन किया जाएगा।''।

धारा 30 का लोप।

26. मूल अधिनियम की धारा 30 का लोप किया जाएगा।

धारा 36 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

27. मूल अधिनियम की धारा 36 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

''**36.** इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, की गई किसी अधिसूचना, दिए गए निदेश या आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार या परिषद् या प्राधिकरण या अनुशासन समिति या अधिकरण या बोर्ड या अनुशासन बोर्ड या अनुशासन निदेशालय या उस सरकार, परिषद्, प्राधिकरण, अनुशासन समिति, अधिकरण, बोर्ड या अनुशासन बोर्ड या अनुशासन निदेशालय के किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।''।

नई धारा 36क का अंत:स्थापन।

28. मूल अधिनियम की धारा 36 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी:—

सदस्यों आदि का लोक सेवक होना।

''36क. प्राधिकरण, अनुशासन समिति, अधिकरण, बोर्ड, अनुशासन बोर्ड, या अनुशासन निदेशालय का अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, सदस्य और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।''। 1860 का 45

नई धारा 38क का अंत:स्थापन।

29. मूल अधिनियम की धारा 38 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

''38क. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी, या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन और नामनिर्देशन की रीति;

(ख) धारा 10ख की उपधारा (3) के अधीन अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें, अधिवेशनों का स्थान तथा उन्हें संदत्त किए जाने वाले भत्ते;

(ग) धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन अन्वेषण की प्रक्रिया;

(घ) धारा 21ख की उपधारा (2) के अधीन अनुशासन समिति द्वारा मामलों पर विचार किए जाने की प्रक्रिया और उपधारा (4) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के भत्तों का नियतन;

(ङ) धारा 29ग के अधीन बोर्ड द्वारा अपने अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; और

(च) धारा 29घ की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें।''।

धारा 39 का संशोधन।

30. मूल अधिनियम की धारा 39 में,—

(i) उपधारा (2) में,—

(क) खंड (क) में ''मद (1), मद (3)'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर ''मद (2)'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ख) खंड (घ) में ''का खंड (क)'' शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर का लोप किया जाएगा;

(ग) खंड (छ), खंड (ठ) और खंड (थ) का लोप किया जाएगा;

(घ) खंड (झ) में ''खंड (झ)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर ''खंड (छ)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ङ) खंड (ञ) में ''खंड (ञ)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर ''खंड (ज)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(च) खंड (ट) में ''धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ट)'' शब्दों, कोष्ठकों, अक्षर और अंकों के स्थान पर ''धारा 15क के खंड (च)'' शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा।

नई धारा 40 का अंतःस्थापन।

31. मूल अधिनियम की धारा 39 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का संसद् के समक्ष रखा जाना।

''40. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा/रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम, विनियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम, विनियम या अधिसूचना नहीं बनाया जाना चाहिए या जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा/जाएगी। किंतु नियम, विनियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।''।

पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूचियों का प्रतिस्थापन।

32. मूल अधिनियम की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

''पहली अनुसूची

[धारा 21(3), धारा 21क(3) और धारा 22 देखिए]

भाग 1

व्यवसाय करने वाले कंपनी सचिवों के संबंध में वृत्तिक अवचार

व्यवसाय करने वाला कोई कंपनी सचिव वृत्तिक अवचार का दोषी उस दशा में समझा जाएगा, जिसमें वह—

(1) किसी अन्य व्यक्ति को अपने नाम से कंपनी सचिव के रूप में व्यवसाय करने के लिए तब अनुज्ञात करता है, जब ऐसा व्यक्ति व्यवसाय करने वाला कंपनी सचिव नहीं है और उसके साथ भागीदारी में या उसके नियोजन में नहीं है;

(2) संस्थान के सदस्य या भागीदार या भागीदारी से अलग हो गए भागीदार या मृतक भागीदार के विधिक प्रतिनिधि या किसी अन्य वृत्तिक निकाय के सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति को या ऐसी अर्हताएं रखने वाले अन्य व्यक्तियों को जो भारत में या भारत से बाहर ऐसी वृत्तिक सेवाएं देने के प्रयोजन के लिए समय-समय पर विहित की जाएं, को अपने वृत्तिक कारबार की फीसों या लाभों में कोई अंश, कमीशन या दलाली प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: देता है या दिया जाना अनुज्ञात करता है या देने या अनुज्ञात करने के लिए सहमत होता है;

स्पष्टीकरण—इस मद में ''भागीदार'' के अंतर्गत भारत के बाहर निवास करने वाला ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ कोई कंपनी सचिव व्यवसाय करने वाला ऐसी भागीदारी में शामिल हो गया है जो इस भाग की मद (4) के उल्लंघन में नहीं है;

(3) किसी व्यक्ति के, जो संस्थान का सदस्य नहीं है, वृत्तिक कार्य के लाभों का कोई भाग प्रतिगृहीत करता है या प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत होता है:

परन्तु यह कि इसमें अंतर्विष्ट किसी बात का, यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी सदस्य को, ऐसे वृत्तिक निकाय के किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति के साथ, जिसके पास इस भाग की मद (2) में यथानिर्दिष्ट अर्हताएं हैं, लाभ में हिस्सा बंटाने या उसी प्रकार के करार, जिसके अन्तर्गत फीसों में अंश, कमीशन या दलाली प्राप्त करना भी है, करने को प्रतिषिद्ध करती है।

(4) व्यवसाय करने वाले किसी कंपनी सचिव से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ या ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ जो किसी अन्य वृत्तिक निकाय का सदस्य है और जिसके पास ऐसी अर्हताएं हैं जो विहित की जाएं जिसके अन्तर्गत ऐसा निवासी भी है जो विदेश में अपने निवास के कारण, धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए हकदार होता या जिसकी अर्हताओं को ऐसी भागीदारियों को अनुज्ञात करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार या परिषद् द्वारा मान्यता दी गई है, भारत में या भारत से बाहर भागीदारी में शामिल होता है;

(5) ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कम्पनी सचिव का कर्मचारी नहीं है या जो उसका भागीदार नहीं है सेवाओं के माध्यम से या ऐसे साधनों द्वारा, जिनका उपयोग करना किसी कंपनी सचिव के लिए अनुज्ञेय नहीं है, कोई वृत्तिक कारबार प्राप्त करता है:

परन्तु इसमें की किसी बात का, यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह इस भाग की मद (2), मद (3) और मद (4) के निबंधनों के अनुसार किसी व्यवस्था को प्रतिषिद्ध करने वाला है;

(6) परिपत्र, विज्ञापन, वैयक्तिक पत्र-व्यवहार या साक्षात्कार या किसी अन्य साधन द्वारा मुवक्किल या वृत्तिक कार्य पाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से याचना करता है:

परंतु इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह,—

(i) किसी कंपनी सचिव को, व्यवसाय करने वाले अन्य कंपनी सचिव से वृत्तिक कार्य के लिए आवेदन करने या अनुरोध करने या आमंत्रित करने से;

(ii) किसी सदस्य को समय-समय पर वृत्तिक सेवाओं के विभिन्न उपयोगकर्ताओं या संगठनों द्वारा जारी की गई निविदाओं या परिप्रश्नों का उत्तर देने से और उसके परिणामस्वरूप वृत्तिक कार्य प्राप्त करने से;

निवारित या प्रतिषिद्ध करने वाली है।

(7) अपनी वृत्तिक उपलब्धियों या सेवाओं का विज्ञापन करता है या वृत्तिक दस्तावेजों, परिचय पत्रों, पत्र शीर्षों या नाम-पट्टों पर कंपनी सचिव से भिन्न अभिधान या पदों का प्रयोग तब करता है जब वह भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त उपाधि नहीं है या कंपनी सचिव संस्थान की या किसी अन्य संस्था की सदस्यता उपदर्शित करने वाली ऐसी उपाधि नहीं है जिसे केन्द्रीय सरकार ने मान्यता दे रखी है या जिसे परिषद् ने मान्यता दी हो:

परन्तु व्यवसाय करने वाला कोई सदस्य उसके या उसकी फर्म द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली सेवाओं और उसकी फर्म की विशिष्टियों का, ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन रहते हुए जो परिषद् द्वारा जारी किए जाएं, उपवर्णित करते हुए किसी लेख के माध्यम से विज्ञापन कर सकेगा;

(8) कंपनी सचिव के रूप में ऐसा कोई ओहदा, जो तत्पूर्व व्यवसाय करने वाले किसी अन्य कंपनी सचिव द्वारा धारित था, पहले उससे लिखित पत्र-व्यवहार किए बिना प्रतिगृहीत करता है;

(9) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी विनियम के अधीन जिन दशाओं में यह करना अनुज्ञात है उनसे भिन्न दशाओं में, कोई वृत्तिक नियोजन फीसें, जो लाभों के किसी प्रतिशत पर आधारित है या जो ऐसे नियोजन के निष्कर्षों या परिणाम पर समाश्रित है, प्रभारित करता है या प्रभारित करने की प्रस्थापना करता है या प्रतिगृहीत करता है या प्रतिगृहीत करने की प्रस्थापना करता है;

(10) कंपनी सचिव की वृत्ति से भिन्न किसी कारबार या उपजीविका में अपने को तब लगाता है जब परिषद् द्वारा ऐसा करने के लिए उसे अनुज्ञा नहीं दी गई है:

परन्तु इसमें की कोई बात, कंपनी अधिनियम, 1956 में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी कंपनी सचिव को किसी कम्पनी का निदेशक होने के हक से वंचित नहीं करेगी; 1956 का 1

(11) ऐसे व्यक्ति को, जो व्यवसाय करने वाले संस्थान का सदस्य नहीं है या ऐसे सदस्य को जो उसका भागीदार नहीं है, अपनी ओर से या अपनी फर्म की ओर से, किसी ऐसे पत्र को जिस पर उसका कंपनी सचिव के रूप में हस्ताक्षर करना अपेक्षित हो, या विवरणों या उससे सम्बद्ध किन्हीं अन्य विवरणों को हस्ताक्षरित करने के लिए अनुज्ञात करता है।

भाग 2

सेवा करने वाले संस्थान के सदस्यों से संबंधित वृत्तिक अवचार

यदि संस्थान का कोई सदस्य (व्यवसाय करने वाले सदस्य से भिन्न) किसी कंपनी, फर्म या व्यक्ति का कर्मचारी होते हुए—

(1) सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए नियोजन की उपलब्धियों का कोई अंश, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी व्यक्ति को देता है या दिया जाना अनुज्ञात करता है, या दिए जाने के लिए सहमत होता है,

(2) ऐसी कम्पनी, फर्म या व्यक्ति द्वारा या ऐसी कम्पनी, फर्म या व्यक्ति के अभिकर्ता या ग्राहक द्वारा नियुक्त किसी विधि व्यवसायी, कंपनी सचिव या दलाल से, फीसों, लाभों या अभिलाभों का कोई भाग कमीशन या पारितोषण के रूप में प्रतिगृहीत करता है, या प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत होता है,

तो वह वृत्तिक अवचार का दोषी समझा जाएगा।

भाग 3

संस्थान के सदस्यों के सम्बन्ध में साधारणत: वृत्तिक अवचार

यदि संस्थान का कोई सदस्य, चाहे वह व्यवसाय करने वाला हो या नहीं,—

(1) संस्थान का अध्येता न होते हुए संस्थान के अध्येता के रूप में कार्य करता है;

(2) संस्थान, परिषद् या उसकी समितियों में से किसी समिति, निदेशक (अनुशासन), अनुशासन बोर्ड, अनुशासन समिति, क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड या अपील प्राधिकरण द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं देता है या उन अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है, जिनके बारे में मांग की गई है;

(3) किसी अन्य कंपनी सचिव से वृत्तिक कार्य आमंत्रित करते समय या निविदाओं या परिप्रश्नों का प्रत्युत्तर देते समय या लिखित विज्ञापन देते समय या इस अनुसूची के भाग 1 की मद (6) और मद (7) में यथा उपबंधित किसी बात के लिए, ऐसी जानकारी देता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह मिथ्या है,

तो उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि वह वृत्तिक अवचार का दोषी है।

भाग 4

संस्थान के सदस्यों के संबंध में साधारणतः अन्य अवचार

यदि संस्थान का कोई सदस्य चाहे वह व्यवसाय करने वाला सदस्य हो या नहीं,—

(1) किसी सिविल या दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, जो छह मास से अनधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय है;

(2) परिषद् की राय में, अपने कार्य के परिणामस्वरूप चाहे वह उसके वृत्तिक कार्य से संबंधित हो या नहीं, वृत्ति या संस्थान की प्रतिष्ठा गिराता है,

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह अन्य अवचार का दोषी है।

दूसरी अनुसूची

[धारा 21(3), धारा 21ख(3) और धारा 22 देखिए]

भाग 1

व्यवसाय करने वाले कंपनी सचिव से संबंधित वृत्तिक अवचार

यदि व्यवसाय करने वाला कंपनी सचिव—

(1) अपने मुवक्किल की सम्मति के बिना या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा यथा अपेक्षित से अन्यथा, अपने वृत्तिक कार्य के दौरान प्राप्त जानकारी अपने मुवक्किल से जिसने उसे नियुक्त किया है, भिन्न किसी व्यक्ति को प्रकट करता है;

(2) कंपनी सचिव व्यवसाय से संबंधित विषयों की और संबद्ध विवरणों की परीक्षा की रिपोर्ट अपने नाम से या अपनी फर्म के नाम से तब प्रमाणित करता है या देता है, जब ऐसे विवरणों की परीक्षा, उसके द्वारा या उसकी फर्म के किसी भागीदार या कर्मचारी द्वारा या व्यवसाय करने वाले किसी अन्य कंपनी सचिव द्वारा की नहीं गई हो;

(3) अपने नाम का या अपनी फर्म के नाम का ऐसी रीति से जिससे यह विश्वास हो जाए कि वह पूर्वानुमान का ठीक होना प्रमाणित करता है, किसी रिपोर्ट या विवरण के संबंध में जो कि भावी संव्यवहारों पर समाश्रित है, प्रयोग होने देता है;

(4) किसी ऐसे कारबार या उद्यम को जिसमें उसका, उसकी फर्म का या उसकी फर्म के किसी भागीदार का सारवान् रूप से हित है, दी गई किसी रिपोर्ट पर या विवरणों पर, अपनी राय अभिव्यक्त करता है;

(5) जहां उसका संबंध वृत्तिक हैसियत में ऐसी रिपोर्ट या विवरण से है वहां अपनी रिपोर्ट या विवरण में उसे ज्ञात ऐसे तात्त्विक तथ्य को प्रकट करने में असफल रहता है किन्तु जिसका ऐसी रिपोर्ट या विवरण में प्रकट किया जाना आवश्यक है;

(6) ऐसे किसी तात्त्विक अशुद्ध कथन की रिपोर्ट जो उसे ज्ञात है, और जो उसकी वृत्तिक हैसियत से संबद्ध है, देने में असफल रहता है;

(7) अपने वृत्तिक कर्तव्यों के निर्वहन में सम्यक् तत्परता नहीं बरतता है या घोर उपेक्षा करता है;

(8) उतनी पर्याप्त जानकारी अभिप्राप्त करने में असफल रहता है जो किसी राय की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है या जिसके अपवाद किसी राय को नकारने के लिए पर्याप्त रूप से सारवान, है;

(9) सचिवीय व्यवसाय के संबंध में साधारणतः स्वीकृत प्रक्रिया का तात्त्विक रूप से अनुसरण न किए जाने के प्रति ध्यान आकृष्ट करने में असफल रहता है;

(10) पृथक् किसी बैंककारी खाते में खर्च किए जाने के लिए रखी गई फीस, या पारिश्रामिक या रुपए-पैसे से भिन्न अपने मुवक्किल के रुपए-पैसे पृथक् बैंक खाते में नहीं रखता या ऐसे रुपए-पैसे को युक्तियुक्त समय के भीतर उन प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं करता है जिनके लिए उसका प्रयुक्त किया जाना आशयित है,

तो वह वृत्तिक अवचार का दोषी समझा जाएगा।

भाग 2

संस्थान के सदस्यों के संबंध में साधारणतः वृत्तिक अवचार

यदि संस्थान का कोई सदस्य, चाहे वह व्यवसाय करने वाला सदस्य हो या नहीं—

(1) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए विनियमों या परिषद् द्वारा जारी किए गए किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है;

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अपेक्षित के सिवाय या नियोजक द्वारा अनुज्ञात किए जाने के सिवाय, किसी कंपनी, फर्म या व्यक्ति का कर्मचारी होते हुए, अपने नियोजन के अनुक्रम में अर्जित गोपनीय सूचना को प्रकट करता है;

(3) संस्थान, परिषद् या उसकी किसी समिति या निदेशक (अनुशासन), अनुशासन बोर्ड, अनुशासन समिति, क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड या अपील प्राधिकरण को पेश की जाने वाली किसी सूचना, कथन, विवरणी या प्ररूप में ऐसी विशिष्टियां सम्मिलित करता है, जिनके बारे में वह यह जानता है कि वे मिथ्या हैं;

(4) अपनी वृत्तिक हैसियत में प्राप्त धनराशि को हड़प लेता है या उसका गबन करता है,

तो वह वृत्तिक अवचार का दोषी समझा जाएगा।

भाग 3

संस्थान के सदस्यों के संबंध में साधारणतः अन्य अवचार

संस्थान का कोई सदस्य चाहे वह व्यवसाय करने वाला सदस्य हो या नहीं अन्य अवचार का दोषी समझा जाएगा यदि उसे किसी सिविल या दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता हे, जो छह मास से अनधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय है।''।